

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

विविध रसद प्रकरण सं. 01/2026 GCMS 2026/30

प्रार्थी—

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी—

श्री स्वरूप चंद पुत्र सांगीलाल तातेड़,
निवासी श्रीमालियों का चौक, वार्ड नं 12,
बालोतरा, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

- अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- श्री प्रदीपसिंह चौहान, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से अनुस्थित।

आदेश

दिनांक : 25.03.2026

- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 13.12.2025 को श्री रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स रामसेतु पुलिया के पास दुकान का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री स्वरूप चंद पुत्र सांगीलाल तातेड़ उपस्थित मिले। मौके पर 6 घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण बाबत बिना आवश्यक दस्तावेज भण्डारित होना पाया गये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है—

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	439990 एस	Indian	29.30 किग्रा	15.30 किग्रा	13.50 किग्रा
2	17434	Indian	30.00 किग्रा	16.6 किग्रा	13.40 किग्रा
3	1349141 एस	Indian	29.60 किग्रा	15.6 किग्रा	14.00 किग्रा
4	184428	HP	30.00 किग्रा	16.00 किग्रा	14.00 किग्रा
5	4495485	Indian	30.00 किग्रा	16.00 किग्रा	14.00 किग्रा
6	822577	Indian	30.00 किग्रा	16.20 किग्रा	13.80 किग्रा

- मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर द्वारा व्यवसायिक दुरुपयोग करने पर तथा भण्डारण बाबत बिना आवश्यक दस्तावेज भण्डारित होना पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स गंगराना इण्डेन गैस एजेंसी बालोतरा के मैनेजर श्री अचलदास पुत्र जेठाराम


जिला कलक्टर
बालोतरा


को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिवद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।
4. अधिवक्ता अप्रार्थी दौराने बहस बावजूद सूचना अनुपरिथत रहे।
5. हमने सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अवैध रूप से उपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स मैसर्स गंगराना इण्डेन गैस एजेंसी बालोतरा के मेनेजर श्री अचलदास पुत्र जेठाराम को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी), " किसी सरकारी तेल कंपनी का कोई वितरक किसी भी घर को सिलेंडर में भरी हुई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस घर का व्यक्ति जिसके नाम पर कनेक्शन जारी किया गया है " 7(1) " उसके पास भरा हुआ या खाली सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाल्व या प्रेशर रेगुलेटर नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह वितरक या उपभोक्ता न हो।" का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।


जिला कलक्टर
बालोतरा

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विष्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा विक्रय संबंधित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी), "द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, जिसके लिए उपभोक्ता किसी सरकारी तेल कंपनी के वितरक के पास पंजीकृत है" व 7(1) "सरकारी तेल कंपनी या समानांतर विपणक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भरे या खाली सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाल्व और प्रेशर रेगुलेटर की आपूर्ति या बिक्री करना" का उल्लंघन में पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।
7. आदेश आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




जिला कलेक्टर
(सुशील कुमार)
बालोतरा
जिला कलेक्टर, बालोतरा